W

सचिव, सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कालेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर .

महोदय.

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सम्ब0-173/सत्तर-2-2008-2 (266)/2008, दिनांक 24.07.2008 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कालेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्वित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

- 1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार काँसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- संस्था शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 एवं शासनादेश संख्या—4108/सत्तर—2—2007—2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एंव इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- उ. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त रवीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जो के आदेशानुसार सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कालेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

de

प्रतिलिपि :-

सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

रिचेद्र, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2 को सूचनार्थ एवं अ**ज**रयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/0

कुलसमिव कुलसमिव कुलामिव

भवदीय.

. पत्रांक : सम्बद्धता / 33 4 8

अक्टबर 2008